

वित्त निर्देश 08 /2026

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक FINACC/2032/2025-FINANCE नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06-02-2026
प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जेल विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

विषय:- वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में जेल विभाग अंतर्गत महानिदेशक जेल को
वित्तीय अधिकार का प्रत्यायोजन।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 346/एफ 2013-03-00026/वि/नि/चार, नया रायपुर,
दिनांक 13.8.2013 (वित्त निर्देश 51/2013)

--0--

राज्य शासन एतद द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में जेल विभाग अंतर्गत
महानिदेशक जेल के वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के सरल क्रमांक 1, 6, 10 एवं 16 में
संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधित किया जाता है।

2/ यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Indra Prakash Ratre
Date: 06-02-2026
15:03:46

(इन्द्र प्रकाश रात्रे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. FINACC-36/120/2025-FINANCE नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक
01.2026

प्रति,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/ अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर
19. समस्त वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी/जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़
21. संभागीय वित्त एवं लेखा एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग, छत्तीसगढ़
22. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
23. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
24. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
25. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

Digitally signed by
SALIL SAHU
Date: 08-02-2026
11:51:13
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

वित्त विभाग

जेल विभाग				
महानिदेशक जेल के संबंध में वित्तीय शक्तियाँ				
स.क्र.	विवरण	शक्तियों का प्रयोग करने वाला सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लघु निर्माण तथा मरम्मत की स्वीकृत की शक्तियाँ	विभाग प्रमुख	रु. 3.00 लाख तक	
6.	जेल अस्पतालों हेतु भण्डार एवं उपकरणों के क्रय पर व्यय करने की शक्तियाँ	1. प्रशासनिक विभाग 2. विभाग प्रमुख 3. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल 4. अधीक्षक, जिला एवं उप जेल	पूर्ण शक्तियाँ रु. 10.00 लाख तक रु. 1.00 लाख तक रु. 25,000/- तक	बशर्ते प्रकरण नवीन मद की श्रेणी में न आता हो।
10.	जेल अस्पतालों के लिए दवाईयों का स्थानीय क्रय पर व्यय करने की शक्तियाँ	1. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल 2. अधीक्षक, जिला जेल 3. अधीक्षक, उप जेल	एक समय में रु. 10,000 तक एक समय में रु. 5,000 तक एक समय में रु. 3,000 तक	केवल अपवाधिक प्रकरणों में
16.	कैदियों के उपचार पर व्यय करने की शक्तियाँ	1. विभाग प्रमुख 2. उप महानिरीक्षक/अति. जेल महानिरीक्षक 3. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर 4. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल 5. अधीक्षक, जिला जेल 6. अधीक्षक उप जेल	रु. 2 लाख तक प्रति प्रकरण रु. 1 लाख तक प्रति प्रकरण रु. 50,000/- तक प्रति प्रकरण रु. 25,000/- तक प्रति प्रकरण रु. 10,000/- तक प्रति प्रकरण रु. 5,000/- तक प्रति प्रकरण	इस शर्त के अधीन कि उपचार सरकारी अस्पताल/रेफरल अस्पताल में किया गया हो।

JAIL DEPARTMENT				
Financial Powers in respect of the Director General of Jail				
S.N.	Description	Authority Competent Exercise the Powers	Extent of Delegation	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Powers to sanction petty construction and repairs	Head of department	Upto Rs. 3.00 lakh	
6.	Powers to incur expenditure on purchase of stores and equipments for jail hospital	1. Administrative department	Full powers	Provided it does not fall in the category of new item.
		2. Head of department	Upto Rs. 10.00 lakh	
		3. Superintendent, Central Jail	Upto Rs. 1.00 lakh	
		4. Superintendent, District jail & Sub-Jail	Upto Rs. 25,000/-	
10.	Powers to incur expenditure on local purchase of medicines for the Jail Dispensaries.	1. Superintendent Central Jail	Upto Rs. 10,000/- at a time	In exceptional cases only
		2. Superintendent District Jail	Upto Rs. 5,000/- at a time	
		3. Superintendent Sub Jail	Upto Rs. 3,000/- at a time	
16.	Powers to incur expenditure on treatment of prisoners.	1. Head of department	Upto Rs. 2.00 lakh per case	Subject to condition that treatment is done in Government Hospital/ Referral Hospital
		2. Deputy Inspector General/ Additional Inspector General of jail	Upto Rs. 1.00 lakh per case	
		3. Superintendent Central Jail	Upto Rs. 50,000/- per case	
		4. Superintendent Central Jail	Upto Rs. 25,000/- per case	
		5. Superintendent District Jail	Upto Rs. 10,000/- per case	
		6. Superintendent Sub Jail	Upto Rs. 5,000/- per case	